संतकबीरनगर पुलिस

जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 28-08-2021**

आज दिनांक 28.08.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

छेड़खानी के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल **श्री अम्बरीश सिंह भदौरिया** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 121 /2021 धारा 147 /323 /504 /506 /354(क) 452 भादवि व 9/10 पाक्सों एक्ट मे वांछित अभियुक्त नाम पता अरमान पुत्र अनवर अली निवासी पजराभीरी थाना बेलहकला जनपद सन्तकबीरनगर को बेलवा सेंगर पक्की सड़क से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 30.07.2021 को वादी की नाबालिक पुत्री के साथ छेड़खानी व मारपीट की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना बेलहरकला पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 28.08.2021 को थाना बेलहकला पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रामसूरत यादव, हे0कां0 उदय नारायण यादव।

01 अदद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चेकिंग के दौरान 01 अदद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त नाम पता मोहन कुमार पुत्र शिवलाल निवासी कसैला थाना कोतवली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को इण्डियन पेट्रोल पंप बड़गो के पास से गिरफ्तार कर थाना कोतवली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 601 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- प्रभारी चौकी कलेक्ट्रेट उ0नि0 श्री रजनीश राय, हे0कां0 गौतम यादव, कां0 विजय कुमार, का0 अमित कुमार, कां0 अंगद यादव।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 30 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 03 अभियुक्त नाम पता 1- कलेन्द्र पुत्र अमेरिका 2 - अमरनाथ पुत्र लालमन 3 – किरपू पुत्र मोछू निवासीगण तुर्कवलिया नायाक थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर प्रत्येक के पास से 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर क्रमशः मु0अ0सं0 429 / 2021,430 / 2021,431 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- प्रभारी चौकी बिड़हरघटा उ0नि0 श्री अरुण कुमार पाण्डेय, कां0 राजू गौड़, कां0 पियूष कुमार सिंह।

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 1- शैलेन्द्र पुत्र छोटेलाल निवासी बनकसिया थाना मेहदावल 2 - बिनोद कुमार पुत्र बेचन निवासी करमैनी थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर प्रत्येक के पास से 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना मेहदादव पर क्रमशः मु0अ0सं0 224 / 2021, 225 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- प्रभारी चौकी बनकरिया उ0नि0 श्री अभिमन्यु सिंह, हे0कां0 रमाशंकर मिश्रा, हे0कां0 सतीश मिश्रा।

संतकबीरनगर पुलिस

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 12 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- **थाना मेहदालवल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- **थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1497 द्वारा गायब बच्ची को तत्परता दिखाते हुए परिजनों को किया गया सुपुर्द – पीआरवी 1497 को थाना धर्मसिंहवा क्षेत्रांतर्गत अतरी नानकार से इवेन्ट संख्या 13076 से कालर ने एक गुमशुदा बच्ची के मिलने के समबन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 07 मिनट में पहुंचकर स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से बच्ची के परिजनों को तलाश कर सुपुर्द किया गया तथा इस संबन्ध में थाना धर्मसिंहवा को सूचित किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर बच्ची को उसको परिजनों को सुपुर्द कर अप्रिय घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 अरविन्द कुमार सिंह, मु0आ0 बृजेश सिंह, हो0चा0 श्रीनिवास साहनी ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 100 वाहनो से 90,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 28.08.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 100 वाहनो से 90,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।